न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारीः राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या–2019 / 00011 दायर दिनांक 22.02..19

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू –सायल–

बनाम

1. सुरेश शर्मा पुत्र श्री पुनमचंद शर्मा मै0 पंडित चूर्ण, पंडित भोजनालय के सामने, सालासर, तह0 सुजानगढ़, जिला चूरू
2. ललित मोहन कुमावत पुत्र श्री मोहनलाल कुमावत मै0 राज इन्टरप्राईजेज C/o हरिश फोटो स्टेट अपोजित रिद्धी सिद्ध, सीटी होटल मदनगंज किशनगंज जिला अजमेर, राजस्थान
3. मगनलाल कुमावत पुत्र श्री हनुमान प्रसाद मै0 **CM food's Sumerpur, plot 09, angor indu, area angor sumerpur dist. Pali rajasthan** –गैरसायल–

परिवाद जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (II)/51 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित – 1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी वास्ते पैरोकार राज।
2. श्री हकीम अहमद खान, अधिवक्ता वास्ते गैरसायलान। 24/7/19

निर्णय दिनांक 08.07.2019

यह परिवाद मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु से प्राप्त होने पर दर्ज ऑनलाइन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार निम्नानुसार है :–

1. यह कि मै मदनलाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूं। और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझें कार्य क्षेत्र जिला चूरू में आने वाले समस्त स्थानिय क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की प्रतियां न्यायनिर्णयन के आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.03.2018 को 01:40 पी.एम. पर मै0 पंडित चूर्ण, पंडित भोजनालय के सामने, सालासर, जिला चूरू। ,पर पहुचा। वहां पर सुरेश शर्मा मालीक की हैसियत से पाया गया। दुकान में एक लकडी की रेंक में 400 ग्राम की 20 सील बन्द थैलिया, कच्चे–कच्चे कैर (आचार) ब्राण्ड छगन मगन बेचने हेतु पाई गई। मैने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया।
3. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर खाघ पदार्थ कच्चे–कच्चे कैर (आचार) ब्राण्ड छगन मगन मे मिलावट की शंका होने पर कच्चे–कच्चे कैर (आचार) ब्राण्ड छगन मगन की 400

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

ग्राम की 4 सील बन्द थैलीयॉ वास्तें जांच नमना खरीद किया । जिसकी कीमत विक्रेता श्री सुरेश शर्मा को 360/–रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री इस्लामुदीन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।

4. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए कि प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री सुरेश को देकर रसीद प्राप्त की फार्म नम्बर 5ए की रिपोर्ट न्यायनिर्णयान आवेदन के साथ संलग्न है।

5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा कच्चे–कच्चे कैर (आचार) ब्राण्ड छगन मगन के 04 थैलियों को 04 जारों में बराबर अलग–अलग डालकर जारों के ढक्कन बन्द करकें नमूनें के चार भाग बनायें। चारों भागों पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूनें के भाग पर चिपकाये और लेबल पर डी ओ के कोड एवं क्रमांक एल–1790 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर अन्य विवरण खाद्य पदार्थ की किस्म, दिनांक नमूना लेने का स्थान, अंकित किए लेबल पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये चारों नमूना के भागों को अलग अलग खाखी कागज मे लपेट कर दोनो सीराओं को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी ओ जिला चूरू की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एल–1790 नियमानुसार चारों नमुना पर राउण्ड टू बोटम गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूनें के भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूने के भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये पेपर स्लीप व रेपर दोनों पर आवें एवं खाखी पेपर पर गवाह के हस्ताक्षर करायें। नमूना के चारो भागों पर नमूना संख्या, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ की किस्म अंकित कि गई एवं मैंने हस्ताक्षर कर चारों नमूनों के भागों को अपनें कब्जें में लिया। मौके की फर्द रिपोर्ट बनाकर व्यापारी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवायें एवं मैनें हस्ताक्षर किये। एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है जिसके द्वारा मैने नमूना सील किया।

6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पर पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार कर पुनः नमूनों के भागों को आउटर कवर में मय फार्म नम्बर 6 की प्रति रखकर पुनः नमूना पैक किया एवं धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी लगाकर सील बन्द किया। एवं नमूने के एक भाग पर मुख्य विश्लेषक राज्य, केन्द्रीय प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर का पता लिखकर नमूना संख्या एवं दिनांक डालकर एवं मेरे हस्ताक्षर कर राज्य केन्द्रीय प्रयोगशाला जयपुर में भिजवाया साथ में एक सील बन्द लिफाफें मे फार्म नम्बर 6 की 02 प्रतियां सील मोहर कर सील बन्द लिफाफे में अलग से भिजवाया। नमूना जमा कराने की रसीद एवं फार्म नम्बर 6 की प्रतियां जमा कराने रसीद न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। पेश दो सील बन्द नमूना दो प्रतियों के आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर तथा नमूनो का चौथा भाग अलग से आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर डी ओ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पत्र अग्रेषण क्रमांक–134 दिनांक 02.05.2018 प्राप्त हुआ। जिसके साथ खाद्य विश्लेषक राज्य, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर की रिपोर्ट संख्या एल.एस./603/एक्ट/2018/698 दिनांक 24.04.2018 प्राप्त हुई जिसमें विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खादय पदार्थ कच्चे–कच्चे कैर (आचार) ब्राण्ड छगन मगन मिसब्राण्डेड होना पाया गया जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।
8. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मै0 पंडित चूर्ण मालीक नें नमूना लेते वक्त माल खरीद का बिल मै0 राज इन्ट्रप्राईजेज किशनगढ का प्रस्तुत किया। जिनका इन्वोइस नं0 83 दिनांक 26.03.2018 है। उक्त फर्म के मालिक ने माल खरीद का बिल मै0 CM FOOD"S SUMERPUR के नाम प्रस्तुत किया। जिनका इन्वोइस नं0 116 दिनांक 05.01.2018 का है। समस्त लिखें गये पत्र एवं माल खरीद का बिल की प्रमाणीत प्रतियां मुल पत्रावली के साथ संलगन है।
9. श्रीमान् अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/02 दिनांक 01.01.2019 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णय आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया।
10. यह कि उक्त प्रकरण में सुरेश ने कच्चे–कच्चे कैर (आचार) ब्राण्ड छगन मगन मिसब्राण्डेड का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है अतः उपर्युक्त आवेदन श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।

गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान की ओर से अधिवक्ता श्री हकीम अहमद खान ने दिनांक 10.04.2019 को उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। गैरसायलान के योग्य अधिवक्ता ने कहा कि वे जवाब पेश नहीं करके सीधे बहस करना चाहते हैं। इसलिए उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ ने बहस में कहा कि खाद्य पदार्थ कच्चे–कच्चे कैर (आचार) ब्राण्ड छगन मगन का सेम्पल नं. एल–1790 रिपोर्ट संख्या एल.एस./603/एक्ट/2018/698 दिनांक 24.04.2018 के अनुसार पाया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंघन हुआ है। खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 में उल्लेखित शास्ति से गैरसायल को दण्डित किया जावें।

गैरसायलान के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि केवल मशीनी एवं तकनीकी खामी के कारण प्रॉडक्ट पर जानकारी पूर्ण रूप से छप नहीं पाई। इस कमी से प्रॉडक्ट की गुणवता पर कोई असर नहीं पड़ता है। यह केवल मशीनी खामी मात्र है। इसलिए प्रकरण को इसी स्टेज पर खारिज किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ व वकील गैरसायल की बहस सुनी गई। परिवाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। चूंकि गैरसायल द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ कच्चे–कच्चे कैर (आचार) ब्राण्ड छगन मगन की सेम्पल नं. एल–1790 रिपोर्ट संख्या एल.एस. /603/एक्ट/2018/698 दिनांक 24.04.2018 से मिसब्राण्ड (Under Section 3(1)(zf)(c)(i) of FSS Act, 2006 होना पाया गया है। इस प्रकार गैरसायल के द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ विक्रय का कारोबार करना परिवाद से साबित है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में गैरसायल को मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ कच्चे–कच्चे कैर (आचार) ब्राण्ड छगन मगन बेचने के कारण एंव उक्त कृत्य प्रथम बार होने के कारण सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत गैरसायल सं. 01 सुरेश शर्मा पुत्र श्री पुनमचंद शर्मा मै0 पंडित चूर्ण, पंडित भोजनालय के सामने, सालासर, तह0 सुजानगढ़, जिला चूरू को 10000/– रूपये (दस हजार रूपये), गैरसायल सं. 02 ललित मोहन कुमावत पुत्र श्री मोहनलाल कुमावत मै0 राज इन्टरप्राईजेज C/o हरिश फोटो स्टेट अपोजित रिद्धी सिद्ध, सीटी होटल मदनगंज किशनगंज जिला अजमेर, राजस्थान पर 10000/–(दस हजार रूपये) व गैरसायल सं. 03 मगनलाल कुमावत पुत्र श्री हनुमान प्रसाद मै0 CM food's Sumerpur, plot 09, angor indu, area angor sumerpur dist. Pali rajasthan पर 10000/–रु. (दस हजार रूपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है तथा गैरसायलान को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में पुनः खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन नहीं करें। गैरसायल उक्त राशि 15 दिवस के अन्दर अन्दर जरिये चालान बैंक में राज्य सरकार के बजट हैड–0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियॉ, (03)– खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा कराकर चालान की प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी को देवे अन्यथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि गैरसायल द्वारा शास्ति राशि जमा नहीं करवाये जाने पर गैरसायल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2019.07.29 10:35:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: